(6)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– /पटना, दिनांक–..............................

सं०सं०–04 तक0/IMC गया (वन भूमि)/18/2025 --------------------

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (AKIC) परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) डोभी, गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू0 416.00 करोड़ के विरुद्ध प्राप्त आवंटन 4000.00 लाख (चालीस करोड़) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष–2025–26 में अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 416.00 करोड़ के विरुद्ध प्राप्त आवंटन रू0 4000.00 लाख (चालीस करोड़) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत्यादेश सं0–3577, दिनांक–23.09.2025 द्वारा रू0 5000.00 लाख (पचास करोड़ रूपये) की निकासी की गई है।

3. अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी परियोजना है, जो इंस्टेनडेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (EDFC) के Back Bone पर आधारित है। यह परियोजना सात राज्यों यथा–पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य में एक–एक इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके आलोक में गया जिला अन्तर्गत अंचल डोभी में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) विकसित किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़वा मिलेगा, रोजगार के अवसर सुलभ होंगे तथा औद्योगिक उत्पाद के परिवहन भाड़ा में कमी आयेगी।

4. विकसित किये जा रहे इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की भूमि के बदले में पर्यावरण को संरक्षित किये जाने हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिससे वहाँ के आस–पास के पर्यावरण को संतुलित करने मे सहायता प्राप्त होगी।

5. दिनांक–13.08.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक की मद संख्या–25 के रूप में अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य 1300 एकड़, मोहनपुर और फतेहपुर अंचल में रैयती एवं अनावाद बिहार सरकार की सर्वेक्षित भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA), पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू0 416.00 करोड़ (रूपये चार सौ सोलह करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो उद्योग विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक–3008 दिनांक 14.08.2025 द्वारा निर्गत है।

6. इस राशि की निकासी मुख्यशीर्ष 4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, उप शीर्ष–0101–औद्योगिक विकास के लिए भू–अर्जन, विपत्र कोड संख्या–23–4885020500101 विषय शीर्ष 0101–53–02 भू–अर्जन मद में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिए यथेष्ट बजट उपलब्ध है।

7. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (MSME) सूक्ष्म, लघु एवं मध्‍ उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना राशि की निकासी कर, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० ख संख्या–PBBPLA012 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। उक्त राशि की निकासी BTC Form–46 की जायेगी, जिसका व्यय AKIC परियोजना के तहत IMC, गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु भ् अधिग्रहण हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

8. इस योजना के नियत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्द निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा रा का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी एक प्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

9. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक–10.05.20 के अनुरूप की जायेगी।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561/वि (2) दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–2 व आलोक में किया जायेगा तथा पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि (2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या–04तक0/IMC गया (वन भूमि) 18/2025 व पृष्ठ–08/टि० पर दिनांक–22.01.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. राशि की निकासी के प्रस्ताव पर सचिव, उद्योग विभाग का संचिका संख्या–04तक०/ IMC गय (वन भूमि) 18/2025 के पृष्ठ–08/टि० पर दिनांक–27.01.2026 को अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अनिल कुमार)
अपर सचिव,
विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक: /पटना, दिनांक:
सं0सं0– 04 तक0/IMC गया (वन भूमि)/18/2025
प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 171 /पटना, दिनांक: 04.02.2026
सं0सं0– 04 तक0/IMC गया (वन भूमि)/18/2025
प्रतिलिपि–महालेखाकार, (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा)/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA), पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, (MSME) सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/26
अपर सचिव,